वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

प्रेस विज्ञप्ति

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी की संयुक्त प्रवर्तन टीम द्वारा आज दिनाँक 05-08-2022 को अवैध निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की कार्यवाही संपादित की गयी।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम मे वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी की संयुक्त प्रवर्तन टीम द्वारा आज दिनाँक 05-08-2022 को अवैध निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की कार्यवाही संपादित की गयी।

अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की कार्यवाही

भेलूपुर वार्ड के अंतर्गत अस्सी नदी के किनारे साकेत नगर, गांधी नगर, Green Belt के अंतर्गत श्रीमती सिंधुभुजा पत्नी श्री अनुज कुमार सिंह द्वारा किए गए अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तिकरण आदेश परिता किया गया था। जिसके क्रम में आज प्रवर्तन टीम द्वारा Green Belt के अंतर्गत किए गए अवैध निर्माण मौके पर ध्वस्त किया गया।

क्षेत्रीय जोनल अधिकारी - लाला सतीश कुमार सुमन

क्षेत्रीय अवर अभियंता - श्री जय प्रकाश गुप्ता

अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की कार्यवाही

वार्ड- दशाश्वमेध

दशाश्वमेध वार्ड के अंतर्गत ग्राम-दरेखू पर अज्ञात विकासकर्ता द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराये लगभग 05 बीघा में अवैध प्लाटिंग विकसित की गयी थी। थाना- रोहनिया के अंतर्गत लगभग 18 करोड़ मूल्य की भूमि की अवैध प्लाटिंग का प्रवर्तन टीम एवं थाना-रोहनिया के सहयोग से ध्वस्तिकरण कराया गया।

संयुक्त सचिव, श्री परमानंद यादव

क्षेत्रीय जोनल अधिकारी - श्री सिंह गौरव जय प्रकाश एवं श्री प्रकाश कुमार (ज़ोनल अधिकारी)

क्षेत्रीय अवर अभियंता - श्री रामचन्द्र

उपाध्यक्ष महोदया द्वारा आमजनमानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आऊट अथवा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण न करें, अन्यथा की दशा में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी।